

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 113/2023

GCMS No. : 2023/253

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		शाकिर पुत्र मोहम्मद साबीर मैसर्स जी. पी.के. सुपर बाजार सोजत सिटी जिला पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52”

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जनार्दन व्यास उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 30/01/2025

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 19.01.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स जी.पी.के. सुपर बाजार, सोजत सिटी, जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम शाकिर पुत्र मोहम्मद साबीर बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर 20 बोतल एक लीटर के पैक में सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) रखा हुआ था जो आमजन को बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर सरकारी जांच हेतु सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजूद नहीं होने से साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर



अति. जिला क्लर्क पाली

करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में एक लीटर की 04 बोतल पैक सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 700/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1637 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमूने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-1637 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/127/एक्ट/2023/170 दिनांक 02.02.2023 के अनुसार Mis-branded पाया गया, जिसकी सूचना अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। अप्रार्थी ने मौके पर किसी प्रकार का थोक विक्रेता/निर्माता कम्पनी का बिल/दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके लिए अप्रार्थी को पर्याप्त दिये जा चुके है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Mis-branded सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।



अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने लिखित जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) के सेम्पल लेते खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सेम्पल सरसों तेल की पुनः जांच हेतु अवसर नहीं देकर बहुमूल्य अधिकार

अति. जिला कलेक्टर पाली से वंचित किया है। अप्रार्थी ने सरसों तेल की जो कि पैक बोतल में था उसका सेम्पल

लिया था जिसका उत्पादन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया जाता है जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, ऐसे में सरसों तेल निर्माता कम्पनी को पक्षकार बनाकर कार्यवाही की जानी थी, लेकिन प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में निर्माता कम्पनी/थोक विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाकर कानुनी भुल की है। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में सेम्पल सरसों का तेल कब भेजा गया एवं किस दिनांक को सेम्पल की जांच की गई उक्त जानकारी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर स्वतंत्र गवाह के स्थान पर अपने साथ आये कार्मिक को ही गवाह बना लिया जो कि मौके पर लिये गये सेम्पल लेने की प्रक्रिया की विश्वसनियता पर प्रश्नचिन्ह है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जिससे अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने एवं पुनः जांच करवाने के अधिकार से वंचित किया जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज योग्य है। प्रार्थी ने पत्रावली के सलंगन दस्तावेज मौके पर नहीं बना कर ऑफिस में बैठकर की गई है, जिस पर गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है न ही नाम पता व शकुनत दर्ज है ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.01.2023 को अप्रार्थी के फर्म से लिया गया सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1637 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। मौके पर अप्रार्थी ने किसी प्रकार के दस्तावेज यथा सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) के थोक विक्रेता के बिल या निर्माता कम्पनी के बिल इत्यादि पेश नहीं किये न प्रकरण न्यायालय में पेश करने तक कार्यालय में पेश किये ऐसे में अप्रार्थी को ही पक्षकार संयोजित कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का नमुना कोड संख्या आर-1637 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के फर्म से लिया गया सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी सुचना दी कि अगर फर्म मालिक नमुना संख्या आर-1637 की पुनः जांच करवाने चाहते हैं तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर-भीतर



आंस. जिला कलेक्टर, पाली

अभिहित अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है लेकिन फर्म मालिक द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पत्र प्रार्थी द्वारा प्रकरण न्यायालय में पेश किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) नमुना संख्या आर 1637 लेते समय एवं प्रकरण न्यायालय में पेश करते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की पालना की है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) सरसों का तेल (लाखोटीया ब्राण्ड) का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली